

tuin cxxir iqfyl dk ljkguh; dk;Z

थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा बाद मुठभेड़ एक शातिर बदमाश (गैंग लीडर) घायलघिरपतार, कब्जे से अवैध एक तमंचा मय कारतूस, एक मो०सा० अपाचे बिना नम्बर नाजायज बरामद।

पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—

थाना सिंघावली अहीर— आज दिनांक 21-08-2020 को दोपहर समय करीब 12:15 बजे थाना सिंघावली अहीर क्षेत्रान्तर्गत चौकिंग के दौरान जंगल ग्राम तेडा नहर पटरी पर बदमाशों से हुई पुलिस मुठभेड़ में जवाबी पुलिस कार्यवाही के दौरान एक शातिर बदमाश जहीर पुत्र वहीद निवासी डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत को गिरपतार किया है। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ फारिंग में गोली लगने से अभियुक्त जहीर घायल हो गया है। मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त का एक साथी मौके से फरार हो गया जिसकी तलाश जारी है। घायल/गिरपतार अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर मय 01 खोखा व 02 जिंदा कारतूस व एक मोटरसाइकिल अपाचे बिना नंबर नाजायज बरामद हुई। अभियुक्त जहीर शातिर किस्म का अपराधी है। यह जनपद बागपत के थाना सिंघावली अहीर पर पंजीकृत डी-51 गैंग का लीडर है। अभियुक्त जहीर के विरुद्ध हरियाणा राज्य, जनपद गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, व जनपद बागपत पर चोरी, गैंगस्टर आदि के करीब 15 मुकदमे पंजीकृत हैं। अभियुक्त के विरुद्ध थाना सिंघावली अहीर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का नाम व पता—

जहीर पुत्र वहीद निवासी डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण—

1—एक तमंचा 315 बोर मय 01 खोखा व 02 जिंदा कारतूस।

2—एक मो०सा० अपाचे बिना नम्बर।

अभियुक्त जहीर का अपराधिक इतिहास—

1—मु०अ०सं० 422/14 धारा 398, 401 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

2—मु०अ०सं० 427/14 धारा 41/102 सीआरपीसी व 411, 414, 420, 467, 468, 471 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

3—मु०अ०सं० 349/14 धारा 41/102 सीआरपीसी व 411, 414 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

4—मु०अ०सं० 391/14 धारा 414 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

5—मु०अ०सं० 802/14 धारा 379, 420 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

6—मु०अ०सं० 206/14 धारा 41/102 सीआरपीसी व 411, 414 भादवि थाना सेक्टर-20 जनपद गौतम बुद्ध नगर।

7—मु०अ०सं० 88/15 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

8—मु०अ०सं० 417/16 धारा 379, 411 भादवि थाना टीपीनगर जनपद मेरठ।

9—मु०अ०सं० 234/16 धारा 25 षस्त्र अधिनियम थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

10—मु०अ०सं० 688/17 धारा 379 भादवि थाना टीपीनगर जनपद मेरठ।

11—मु०अ०सं० 838/18 धारा 4/25 षस्त्र अधिनियम थाना जानी जनपद मेरठ।

12—मु०अ०सं० 839/18 धारा 411, 414 भादवि थाना जानी जनपद मेरठ।

13—मु०अ०सं० 689/18 धारा 379, 411 भादवि थाना सेक्टर-29 जनपद गुरुग्राम हरियाणा।

14—मु०अ०सं० 221/19 धारा 25/4 षस्त्र अधिनियम थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

15—मु०अ०सं० 222/19 धारा 411, 414 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

➤ **सोशल मीडिया (फेसबुक) पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।**

थाना चांदीनगर- पुलिस द्वारा आज दिनांक 21.08.2020 को ग्राम दत्तनगर से **सोशल मीडिया (फेसबुक) पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाला अभियुक्त** सुमित पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम दत्तनगर थाना बालैनी जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना बालैनी पर मु0अ0सं0 82/2020 धारा 67 आईटी एक्ट व 294 भादवि में अभियोग पंजीकृत था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना चांदीनगर पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➤ **थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा आबकारी अधिनियम में एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 पेटी देशी षराब नाजायज बरामद।**

थाना कोतवाली बागपत- पुलिस द्वारा आज दिनांक 21.08.2020 को चैकिंग के दौरान ग्राम बली के पास टटीरी रोड से अभियुक्त बिल्लू पुत्र कबूल सिंह निवासी ग्राम बली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से **02 पेटी देशी षराब हरियाणा मार्का** नाजायज बरामद की गई है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➤ **जनपद बागपत पुलिस द्वारा 04 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।**

थाना बडौत- पुलिस द्वारा आज दिनांक 21.08.2020 को मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान छपरौली चुंगी कस्बा बडौत से मु0अ0सं0 443/2020 धारा 147, 148, 149, 323, 504, 326, 452 भादवि में वांछित अभियुक्त 1-प्रवेन्द्र पुत्र छोटे सिंह 2-अमित पुत्र छोटे सिंह निवासी गण ग्राम बिजरौल थाना बडौत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना बडौत पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना बागपत- पुलिस द्वारा आज दिनांक 21.08.2020 को मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान वंदना चौक से मु0अ0सं0 461/2020 धारा 363, 368, 120बी भादवि व 7/8 पोक्सो अधिनियम में वांछित अभियुक्त 1-भूरा पुत्र इकरामुददीन निवासी सिसोलाकला थाना जानी जनपद मेरठ व मुखबिर की सूचना पर गौरीपुर पेट्रोल पम्प से मु0अ0सं0 539/2020 धारा 147, 148, 323, 324, 307, 504 भादवि में वांछित अभियुक्त कालू पुत्र बुन्दु निवासी निवाडा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना बागपत पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।